

राजस्थान सरकार
दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर विभाग

क्रमांक: प.17(1)/डीएमआईसी/बीडा/2017

दिनांक: 09 MAY 2018

आदेश

राज्य सरकार की दिनांक 22.02.2018 की अधिसूचनाओं के द्वारा क्रमशः राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप' के नाम से एक विशेष विनिधान रीजन घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा विनियम-उपनियम आदि बनाने में समय लगने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने एवं आमजन की सुविधा के लिए सक्षम स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:-


1. भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा विनियम-उपनियम बनाये जाने की अवधि अथवा अग्रिम आदेश/निर्णय तक वर्तमान में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियमों एवं नियमों तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिनियमों, विनियमों, नियमों, नीतियों एवं उपरोक्त के संबन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, परिपत्रों एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची वित्तीय व तकनीकी आदि को यथावत एडोप्ट (ADOPT) किया जाता है।
2. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन नियम, 2017 के नियम 12 के तहत भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि निष्पादन नियम बनाये जाने की अवधि तक राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 {Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974} को एडोप्ट (ADOPT) किया जाता है।
3. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन नियम, 2017 में उल्लेखित विभिन्न शुल्क प्रभार, ब्याज, शास्ति आदि के अतिरिक्त भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले अन्य विभिन्न शुल्क, प्रभार, ब्याज एवं शास्ती आदि का निर्धारण किये जाने की अवधि अथवा अग्रिम आदेश/निर्णय तक नगरीय विकास विभाग के वर्तमान में प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं आदेशों को एडोप्ट (ADOPT) किया जाता है।
4. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 12(1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विशेष विनिधान रीजन अधिसूचित किये जाने से पूर्व उस क्षेत्र में अधिसूचित मास्टर विकास योजना, उक्त विशेष विनिधान रीजन क्षेत्र के लिये मास्टर विकास योजना होगी। अतः प्रथम विशेष विनिधान रीजन "भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप



(BIT) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित/लागू मास्टर प्लान एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान यथावत लागू होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न मास्टर प्लानों के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग/नगर नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, आदेशों एवं परिपत्रों को यथावत एडोप्ट (ADOPT) किया जाता है।

भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण द्वारा विनियम-उपनियम बनाये जाने की अवधि तक पूर्व में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के स्तर तक प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा सम्पादित की जाएगी तथा जिन प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमति आवश्यक है, उक्त प्रकरण डीएमआईसी विभाग को भिजवाएं जावे।

उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय, डीएमआईसी एवं अध्यक्ष, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण से अनुमोदित है।


(राजीव स्वराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
डीएमआईसी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीएमआईसी विभाग ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी विभाग ।
4. अतिरिक्त आयुक्त, डीएमआईसी विभाग ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव,

डीएमआईसी/उद्योग (ग्रुप-1)